

Bank of India

रिश्तों की जमापूँजी

Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय: स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं.
134, एम. आर. 10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर 452010
फोन 0731 2445122-117-147

अचल आस्तियों के
विक्रय हेतु ई-नीलामी
विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया) के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु दिनांक 25.09.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 25.09.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ति का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रु.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा मुसाखेड़ी इन्दौर	1. श्रीमती उषा अशोक कटारिया (उधारकर्ता), अशोक देवीलाल कटारिया (सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), पता: (1.) 94/1 सरवारा नगर, परदेशीपुरा के पास, इंदौर (म.प्र.), (2.) 54, न्यू अंजनी नगर स्कीम नं. 54, इंदौर म.प्र., (3.) मकान नं. 03 तिरुपति पैलेस, निपानिया इंदौर म.प्र. 452003	सांख्यिक बंधक संपत्ति प्लॉट नंबर 54 न्यू अंजनी नगर, इंदौर विकास प्राधिकरण योजना नम्बर 54 के पास, इंदौर तहसील और जिला इंदौर म.प्र., कुल क्षेत्रफल = 83.60 वर्ग मीटर, (प्लॉट का आगे और पीछे का भाग 6.10 मीटर, प्लॉट का एक तरफ 11.00 मीटर और दूसरी तरफ 16.41 मीटर), चतुर्सीमा: पूर्व: प्लॉट नंबर 51 न्यू अंजनी नगर, पश्चिम: रोड, उत्तर: प्लॉट नंबर 53 न्यू अंजनी नगर, दक्षिण: प्लॉट नंबर 55 न्यू अंजनी नगर	15.012.2025 ₹ 5,81,694.52 + ब्याज एवं अन्य खर्च	04.04.2026 सांकेतिक	₹ 9.70 लाख	₹ 0.97 लाख
शाखा देवास	1. मेसर्स केशव रोडलाइन्स, प्रोपराईटर- श्री शैलेन्द्र सांगटे, (उधारकर्ता) 2. श्री शैलेन्द्र सांगटे पिता श्री शांतिलालजी सांगटे,	आवासीय मकान नगर निगम प्लॉट नंबर 62 (नया नं. 69/2 पाईकी), मोहला भवानी सागर, देवास सीनियर (वार्ड नं. 27, सरल नं. 06) जिला- देवास म.प्र., क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): प्लॉट क्षेत्रफल- 666 वर्ग फुट. (61.89 वर्ग मीटर), चतुर्सीमा: पूर्व: सड़क, पश्चिम: श्यामाबाई के मकान नंबर 69/2 पेकी का हिस्सा, उत्तर: सरकारी गली, दक्षिण: मिश्रीलाल जी का घर	21.09.2024 ₹ 17,21,013.10 + ब्याज एवं अन्य खर्च	11.12.2024 सांकेतिक	₹ 17.00 लाख	₹ 1.70 लाख
शाखा खातेगांव	मेसर्स सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी (प्रोप्रा.-आतिश सेलार और जमानतदार -राकेश यादव)	संपत्ति मालिक श्री राकेश यादव पिता मेरुसिंह यादव, संपत्ति के सभी प्रमुख अंश व भू भाग मकान नंबर 220 वार्ड नंबर 11 सर्वे नंबर 192/1/1 पीएच नंबर 18 तिवड़िया रोड खातेगांव में स्थित, प्लॉट एरिया 2400 वर्ग फीट, जमानतदार श्री राकेश यादव, चतुर्सीमा: उत्तर में: शैलेश यादव का प्लॉट, दक्षिण में: तिवड़िया रोड, पूर्व में: रोड / गली, पश्चिम में: रेवा बाई का मकान	06.04.2024 ₹ 37,47,092.81 + ब्याज एवं अन्य खर्च	20.07.2024 सांकेतिक	₹ 27.00 लाख	₹ 2.70 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> बोलीकर्ता <https://baanknet.com> नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते हैं। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बचाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 16B में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोड़ने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक: 25.08.2026, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया